25/16 पत्रावली का ..... प्रकरण लोक अदालत/कोर्ट ..... होने से पत्रावली ..... कोर्ट में दिनांक 28/6/16

28/6/16 आज यह पत्रावली के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रार्थी व अप्रार्थी बराबर को बुलाया गया। प्रार्थी का केस प्रार्थी व अप्रार्थी बराबर को बुलाया गया। प्रार्थी का केस प्राधिकृत्य पत्रावली नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती सक्षम होकर बाद तकमीलदाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय मेरे माध्यम से लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार
जयपुर (ग्रामीण)